

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर

वित्त निर्देश 03/2024

क्रमांक 454 / वित्त / ब-4 / 2024
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/02/2024


शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :- वर्ष 2023-2024 के बजट में प्रावधानित राशि से 29 फरवरी, 2024 के बाद क्रय पर प्रतिबंध
संदर्भ :- वित्त विभाग का परिपत्र क्र. 320/बी-1/चार/2002, दिनांक 26 फरवरी, 2002 (वित्त निर्देश 2002/9)

संदर्भित परिपत्र के माध्यम से राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए स्थायी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उसके पश्चात भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है। यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है। अतः शासकीय क्रय के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं-

(अ) वर्ष 2023-2024 के बजट में प्रावधानित राशि से 29 फरवरी, 2024 के पश्चात क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। यह प्रतिबंध निम्नलिखित मदों में लागू नहीं होगा-


1. केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री।
2. निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री।
3. जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय।
4. पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन।
5. आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय।
6. पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय।
7. लेखन सामग्री से संबंधित क्रय रुपये 5,000 तक के।
8. रुपये 5,000 तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक।
9. (अ) दिनांक 29 फरवरी, 2024 या इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से किए गए क्रय।


14/02/2024

(ब) इस आदेश के फलस्वरूप दिनांक 29 फरवरी, 2024 से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक क्रय के लिए विभिन्न स्तरों पर छत्तीसगढ़ वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन भाग-1 एवं 2 में प्रदत्त शक्तियाँ अधिक्रमित रहेंगी।

(स) उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा।

(द) उपरोक्त प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय (पेंट्री), माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।



(उप सचिव)

उप सचिव

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/02/2024

पृ.क्रमांक 455 / वित्त / ब-4 / 2024
प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय
4. रजिस्ट्रार जनरल, महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
7. महालेखीकार, छत्तीसगढ़, बलौदाबाजार रोड, जीरो प्वाइंट, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर
9. सचिव, वित्त के स्टॉफ आफीसर, मंत्रालय
10. संचालक बजट, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
11. विशेष सचिव सचिव, वित्त के निज सहायक
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
14. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर
15. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,
16. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन,
17. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय,
18. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
20. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर, छत्तीसगढ़
22. नियंत्रक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर
-को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
23. प्रोग्रामर वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://finance.cg.gov.in/> में अपलोड करने हेतु।


(निखिल कुमार अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी